

बिहार सरकार
वित्त (अंकेक्षण) विभाग
बिहार पटना

अंकेक्षण प्रतिवेदन संख्या :- 119/11-12

(1) परिचयात्मक :-

- (क) अंकेक्षित लेखा का नाम — मोतीलाल मध्य विद्यालय, मझौलिया प० चम्पारण ।
- (ख) अंकेक्षणाधीन लेखा वर्ष — 2006-07 से 2010-11 तक ।
- (ग) प्रशासी विभाग का नाम — मानव संसाधन विकास विभाग (प्रा० शि०) बिहार, पटना ।

(घ) अंकेक्षणाधीन अवधि के नियंत्री पदा० का नाम, पदनाम एवं कार्यकाल —

(i) श्री योगेश कुमार , जिला शिक्षा अधीक्षक ।

दि० 1.4.06 से दि० 15.8.09 तक ।

(ii) श्री अमीत कुमार , जिला शिक्षा अधीक्षक, दि० 16.9.09 से 31.3.11 तक

(ङ) अंकेक्षण अवधि के लेखा प्रभारी पदाधिकारी एवं

कर्मचारी का नाम, पदनाम एवं कार्यकाल —

श्री ब्रज किशोर राय, प्रधानाध्यापक, दि० 1.4.2006 से 31.3.2011 तक ।

(च) अंकेक्षण में सहयोग देनेवाले पदाधिकारी/कर्मचारी का नाम तथा पदनाम—

श्री ब्रज किशोर, राय प्रधानाध्यापक

- (छ) वरीय अंकेक्षकों के नाम — 1. मो० सफायत हुसैन अंसारी वरीय अंकेक्षक—1
2. श्री विजय कुमार, व० अं०—2

(ज) अंकेक्षण प्रारंभण तिथि — 2.1.2012

(झ) अंकेक्षण समाप्ति तिथि — 2.2.2012

(ञ) अंकेक्षण में व्यतीत कार्य दिवस की संख्या — 15 कार्य दिवस ।

(ट) अंकेक्षण में प्रस्तुत/अप्रस्तुत अभिलेखों की सूची :-

अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिशिष्ट 'क' पर संलग्न है।

(2) अंकेक्षण का क्षेत्र —

(क) अंकेक्षण का प्रकार — सामान्य ।

(ख) वित्त (अंकेक्षण) विभाग का आदेश संख्या एवं तिथि — वित्त (अंकेक्षण) विभाग, बिहार, पटना के आदेश सं० 129 दि० 19.8.11 के आलोक में उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर अंकेक्षण कार्य सम्पन्न किया गया ।

(ग) विद्यालय का कार्यक्षेत्र — मोतीलाल मध्य विद्यालय, मझौलिया का मुख्य कार्य कक्षा प्रथम से कक्षा सप्तम तक के बच्चों को शिक्षा देना है ।

(घ) वित्तीय श्रोत :-

मोतीलाल मध्य विद्यालय, मझौलिया के आय का मुख्य श्रोत सरकार द्वारा समय-समय पर दिये गये अनुदान से था। वर्ष 06-07 से वर्ष 08-09 तक अनुदान के रूप में बैंक ड्राफ्ट/चेक जिला शिक्षा अधीक्षक, बेतिया को निर्गत किया गया था। जिला शिक्षा अधीक्षक, बेतिया द्वारा बैंक ड्राफ्ट अथवा चेक को भारतीय स्टेट बैंक, बेतिया के खाता संख्या -11115895784 में जमा कर दिया गया था। जब विद्यालय द्वारा वेतन विपत्र तैयार कर जिला शिक्षा अधीक्षक, बेतिया के खाता में भेजा जाता था, तब जिला शिक्षा अधीक्षक, बेतिया द्वारा विपत्र पारित कर एक चेक एवं एडभाइस शाखा प्रबंधक उत्तर बिहार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक बेतिया को भेजा जाता था। शाखा प्रबंधक, बेतिया द्वारा एडभाइस के आधार पर सभी शिक्षकों के संबंधित खातों में वेतन की राशि अंतरित कर दी जाती थी। विद्यालय को वेतनादि से संबंधित अपना कोई रोकड़ पुस्त नहीं था। रोकड़ पुस्त का संधारण जिला शिक्षा अधीक्षक, बेतिया द्वारा ही किया गया था।

वर्ष 09-10 तथा वर्ष 10-11 में सरकार द्वारा वेतनादि के भुगतान हेतु जिला शिक्षा अधीक्षक बेतिया को आवंटन दिया गया था। जिला शिक्षा अधीक्षक, बेतिया को आवंटन दिया गया था। जिला शिक्षा अधीक्षक बेतिया द्वारा विपत्र के माध्यम से कोषागार से राशि की

निकासी कर चेक के माध्यम से इस विद्यालय के शिक्षकों को वेतन का भुगतान किया गया था।

(ड0) कोषागार अभिलेख से सत्यापन की स्थिति :-

वर्ष 2009-10 तथा वर्ष 2010-11 में क्रमशः रुपये 15600000.00 तथा रुपये 16850928.00 का आवंटन प्राप्त था। विपत्र द्वारा वर्ष 2009-10 तथा 2010-11 में जिला कोषागार बेतिया से राशि की निकासी की गयी थी जिसका कोषागार सत्यापन शत्-प्रतिशत् किया गया और सही पाया गया तथा जमा राशि का भी कोषागार सत्यापन शत्-प्रतिशत् किया गया और सही पाया गया।

(च) महालेखाकार के पूर्व निरीक्षण प्रतिवेदन का अनुपालन की स्थिति :-

महालेखाकार के पूर्व निरीक्षण प्रतिवेदन को अंकेक्षण में उपलब्ध नहीं कराया गया फलस्वरूप अनुपालन से सम्बन्धित सत्यापन कार्य नहीं किया जा सका।

(छ) वित्त (अंकेक्षण) विभाग के पूर्व अंकेक्षणा प्रतिवेदन का अनुपालन की स्थिति :-

वित्त (अंकेक्षण) विभाग के पूर्व अंकेक्षण प्रतिवेदन को अंकेक्षण में उपलब्ध नहीं कराया गया। निर्गत आपत्ति के अनुपालन में बताया गया कि कोई अंकेक्षणा प्रतिवेदन कार्यालय में उपलब्ध नहीं है।

3. वित्तीय समीक्षा :-

(i) आवंटन की स्थिति में :-

वर्ष 2009-10 तथा वर्ष 2010-11 में जिला शिक्षा अधीक्षक, बेतिया को जिले के 10 विद्यालयों (गैर सरकारी सहायता प्राप्त तथा अल्पसंख्यक सहित) के शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचारियों के वेतनादि के भुगतान हेतु निदेशक (प्रा0 शि0) बिहार, पटना से आवंटन प्राप्त था।

जिला शिक्षा अधीक्षक, बेतिया द्वारा जिला कोषागार, बेतिया से राशि की निकासी कर चेक द्वारा मोतीलाल मध्य विद्यालय मझौलिया के शिक्षकों को वेतन का भुगतान किया गया था। जिला शिक्षा अधीक्षक बेतिया द्वारा आवंटन से अधिक की निकासी नहीं की गयी थी तथा बचत राशि का प्रत्यार्पण कर दिया गया था। समेकित आवंटन एवं व्यय की विवरण अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिशिष्ट 'ख' पर अंकित है।

(ii) अनुदान की स्थिति में :-

वर्ष 2006-07 से वर्ष 2008-09 तक की अवधि में निदेशक (प्रा0 शि0) बिहार, पटना से पश्चिमी चम्पारण जिला अन्तर्गत सभी 10 (दस) विद्यालयों के लिए बैंक ड्राफ्ट/चेक के रूप में अनुदान प्राप्त था जिसे जिला शिक्षा अधीक्षक, बेतिया के खाता में जमा कर दिया गया था तथा चेक द्वारा सम्बन्धित शिक्षकों को वेतन का भुगतान किया गया था। प्राप्त अनुदान एवं व्यय की विवरणी अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिशिष्ट "ख" पर अंकित हैं।

(iii) प्राप्त अनुदान राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रशासी विभाग को प्रेषित किया गया था अथवा नहीं :-

प्राप्त अनुदान राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रशासी विभाग को जिला शिक्षा अधीक्षक, बेतिया द्वारा प्रेषित बताया गया।

(iv) रोकड़ पंजी में सम्बरण शेष का भौतिक सत्यापन की स्थिति :-

पश्चिमी चम्पारणा जिला अन्तर्गत अल्पसंख्यक एवं सहायता प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों के वेतनादि से सम्बन्धित रोकड़ पुस्त का संधारण जिला शिक्षा अधीक्षक बेतिया द्वारा किया गया था। मोतीलाल मध्य विद्यालय मझौलिया को वेतनादि से सम्बन्धित अपना कोई रोकड़ पुस्त नहीं था। फलस्वरूप अंकेक्षण प्रारम्भण तिथि दि० 2.1.2012 को रोकड़ पुस्त में सम्बरण शेष का भौतिक सत्यापन प्रधानाध्यापका द्वारा नहीं कराया गया। दिनांक 2.1.12 को अंकेक्षण प्रारम्भ किया गया। अंकेक्षण प्रारम्भण तिथि दिनांक 2.1.2012 को जिला शिक्षा अधीक्षक बेतिया द्वारा संधारित रोकड़ पुस्त का सम्बरण शेष रुपये 23390.26 था। रोकड़ पुस्त दिनांक 22.6.2011 तक लिखा हुआ पाया गया जिसमें सम्बरण शेष रुपये 23390.26 था। जिला शिक्षा अधीक्षक बेतिया के प्रधान सहायक द्वारा बताया गया कि दि० 22.6.2011 के बाद कोई आय-व्यय नहीं था। रुपये 23390.00 का भौतिक सत्यापन नहीं कराया गया। उपरोक्त राशि भारतीय स्टेट बैंक बेतिया के खाता सं० - 11115895784 में जमा था।

(v) रोकड़ पुस्त के सम्बरण शेष की स्थिति :-

दिनांक 1.4.2006 को जिला शिक्षा अधीक्षक द्वारा संधारित रोकड़ पुस्त का प्रारम्भण शेष रुपये 4204.26 था। जो भारतीय स्टेट बैंक बेतिया के खाता संख्या 11115895784 में जमा था।

दिनांक	सम्बरण शेष
31.3.2007	28058.26

31.3.2008	5264.26
31.3.2009	75022.26
31.3.2010	12381.26
31.3.2011	0.26

(4) अंकेक्षित कार्यालय के स्वीकृत/कार्यरत/रिक्त पदों का विवरण :-

वर्ष	स्वीकृत बल	कार्यरत बल	रिक्त बल
2006-07	7	6	1
2007-08	7	7	—
2008-09	7	7	—
2009-10	7	7	—
2010-11	7	7	—

भाग -2

(5) रुपये 28.00 वसूली योग्य :-

वेतन भुगतान पंजी की जाँच में पाया गया कि सीमा मुखर्जी सहायक शिक्षिका का मूल वेतन जुलाई 2009 में रुपये 9975.00 था जिसपर 73 प्रतिशत की दर से रुपये 7282.10 जी० या० भत्ता देय था। परन्तु जी० या० भत्ता मद में रुपये 7296.00 का भुगतान किया गया था। इस प्रकार रुपये 14.00 (7296.00-7282.00) का अधिक भुगतान किया गया इसी प्रकार अगस्त 2009 में भी रुपये 14.00 का अधिक भुगतान किया गया था। इस प्रकार जुलाई 2009 से अगस्त 2009 तक जी० या० भत्ता मद में रुपये 28.00 का अधिक भुगतान किया गया था।

निर्गत आपत्ति के अनुपालन में बताया गया कि सम्बन्धित व्यक्ति से रुपये 28.00 वसूल कर कोषागार में जमा कर दिया जाएगा।

अतः रुपये 28.00 सम्बन्धित व्यक्ति से वसूल कर कोषागार में जमा कर दिया जाय तथा की गई कार्रवाई से वित्त (अंकेक्षण) विभाग बिहार, पटना को अवगत कराया जाय।

भाग —3**सुझावात्मक****(6) अंकेक्षण का संक्षिप्त मंतव्य :-****(i) भण्डार का भौतिक सत्यापन का प्रतिवेदन अनुपलब्ध :-**

बिहार वितीय नियमावली खण्ड-1 के नियम 138 (iv) एवं 143 के अनुसार वर्षान्त में भण्डार का भौतिक सत्यापन करना है। परन्तु वर्ष 2006-07 से वर्ष 2010-11 तक का स्थायी सामानों से सम्बन्धित भण्डार पुस्त का भौतिक सत्यापन का प्रमाण पत्र अंकेक्षण में उपलब्ध नहीं कराया गया। जिससे स्पष्ट नहीं हो सका कि भंडार का भौतिक सत्यापन किया गया है या नहीं। निर्गत आपत्ति के अनुपालन में बताया गया कि भण्डार पंजी की खोज की जा रही है।

अतः सुझाव है कि स्थायी सामानों से सम्बन्धित भण्डार पुस्त उपलब्ध कराकर भण्डार का भौतिक सत्यापन कर लिया जाय एवं वस्तु स्थिति से वित्त (अंकेक्षण) विभाग बिहार, पटना को अवगत कराया जाय।

(ii) निरीक्षण संचिका अनुपलब्ध :-

बिहार पर्षद नियमावली के नियम 80 ए(i) के अनुसार प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को महीने में कम से कम एक बार अपने कार्यालय का सविस्तार निरीक्षण करना है और देखना है कि लेखा विहित रीति से विहित पंजी में रखे जाते हैं। वित्त नियमावली विभागीय पत्रांक ए0 आर0 06— 19/53—29 वि0 वि0 दि0 1 जून 1953 के निर्देशानुसार प्रत्येक कार्यालय में निरीक्षण प्रतिवेदन की एक पंजी संधारित करनी है।

निर्गत आपत्ति के अनुपालन में बताया गया कि विद्यालय में निरीक्षण संचिका उपलब्ध नहीं है।

अतः निरीक्षण संचिका तथा तत्सम्बन्धि एक पंजी का संधारण किया जाय तथा अनुपालन से वित्त (अंकेक्षण) विभाग बिहार, पटना को अवगत कराया जाय।

लेखा नियंत्रक
वित्त(अंकेक्षण)विभाग,बिहार पटना।

मिलान एवं शुद्धिकर्ता का नाम

(1) श्री आलोक कुमार गुप्ता, व0 अं0 -2

“NISHU”

परिशिष्ट "क" अंकेक्षण प्रतिवेदन के कंडिका –"1-ट" से सम्बन्धित :-

प्रस्तुत अभिलेख :-

1. अल्पसंख्यक एवं सहायता प्राप्त विद्यालयों से सम्बन्धित रोकड़ पुस्त
2. वेतन भुगतान पंजी
3. आवंटन पंजी वर्ष 2009-10 तथा 2010-11
4. विपत्र पंजी वर्ष 2010-11
5. चेक निर्गत पंजी – दि० 16.12.07 से दिनांक 31.3.2011 तक
6. चेक बुक का काउन्टर फाईल – क्रमांक 681326 से क्रमांक 681375 तक तथा 713101 से 713200 तक
7. सेवा पुस्त

अप्रस्तुत अभिलेख :-

1. चेक निर्गत पंजी – दि० 1.4.2006 से दि० 15.12.2007 तक
2. विपत्र पंजी – वर्ष 2009-10
3. खाता संख्या 11115875784 भारतीय स्टेट बैंक बेतिया से सम्बन्धित पास बुक
4. स्थायी सामानों से सम्बन्धित पास बुक
5. मध्याह्न भोजन से सम्बन्धित रोकड़ पुस्त एवं अभिश्रव
6. चेक बुक का काउन्टर फाईल क्रमांक 355801 से क्रमांक 355840 तक

परिशिष्ट 'ख' अंकेक्षण प्रतिवेदन के कंडिका 3(ii) से सम्बन्धित

प्राप्त अनुदान एवं व्यय की विवरणी

वर्ष 2006-07

पत्रांक/दिनांक	बैंक ड्राफ्ट संख्या/चेक संख्या	अनुदान की राशि (सभी 10 विद्यालयों का समेकित राशि)	मोतीलाल मध्य विद्यालय के वेतनादि मद में व्यय की राशि
उप निदेशक (प्रा0 शि0) बिहार, पटना के पत्रांक 677 दि0 11.4.2006	बैंक ड्राफ्ट संख्या 555686/31.3.2006	5555712.00	1221434.00
उप निदेशक (प्रा0 शि0) बिहार, पटना के पत्रांक 394 दि0 9.3.2007	बैंक ड्राफ्ट संख्या 0996085642 दि0 1.3.2007	6700000.00	

योग— 12255712.00

1221434.00

प्राप्त अनुदान एवं व्यय की विवरणी

वर्ष 2007-08

पत्रांक/दिनांक	बैंक ड्राफ्ट संख्या/चेक संख्या	अनुदान की राशि (सभी 10 विद्यालयों का समेकित राशि)	मोतीलाल मध्य विद्यालय, मझौलिया के वेतनादि मद में व्यय की राशि
निदेशक (प्रा० शि०) बिहार, पटना के ज्ञापांक 1426 दि० 25.7.2007 के आलोक में जिला शिक्षा अधीक्षक सिवान के पत्रांक 2312 दिनांक 20.8.2007	बैंक ड्राफ्ट संख्या 922935 दि० 9.8.2007	1200000.00	1056610.00
—	भारतीय स्टेट बैंक पटना के बैंकर्स चेक संख्या 099442 दि० 29.11.2007	9165000.00	
योग—		10365000.00	1056610.00

प्राप्त अनुदान एवं व्यय की विवरणी

वर्ष 2008-09

पत्रांक/दिनांक	बैंक ड्राफ्ट संख्या/चेक संख्या	अनुदान की राशि (सभी 10 विद्यालयों का समेकित राशि)	मोतीलाल विद्यालय , मझौलिया के वेतन आदि मद में व्यय की राशि
—	भारतीय स्टेट बैंक, पटना के ड्राफ्ट सं० "0996" 126696 दि० 13.2.2009	9000000.00	795164.00

परिशिष्ट 'ख' अंकेक्षण प्रतिवेदन के कडिका 3(i) से सम्बन्धित

प्राप्त आवंटन एवं व्यय की विवरणी

वर्ष 2009—10

पत्रांक/दिनांक	आवंटन की राशि (सभी 10 विद्यालयों का समेकित राशि)	मोती लाल मध्य विद्यालय, मझौलिया वेतनादि मद में व्यय की राशि	कुल व्यय की राशि (सभी 10 विद्यालयों का समेकित)	बचत राशि	अभियुक्ति
निदेशक (प्रा0 शि0) बिहार पटना के पत्रांक 186 दिनांक 18.12.2009	15600000.00	1447167.00	15599867.00	133.00	

वर्ष 2010—11

पत्रांक/दिनांक	आवंटन की राशि (सभी 10 विद्यालयों का समेकित राशि)	मोती लाल मध्य विद्यालय, मझौलिया वेतनादि मद में व्यय की राशि	कुल व्यय की राशि (सभी 10 विद्यालयों का समेकित)	बचत राशि
निदेशक (प्रा0 शि0) बिहार पटना के ज्ञापांक 244 दिनांक 12.2.2011	16850928.00	1632182.00	16178064.00	672864.00